न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 90 / 2017

रविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवकृष्ण सिंह जाति सोनी सिख निवासी वार्ड नं. 18 मकान नं. 125 पी.डब्लू.डी. रेस्ट हाउस के सामने सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल ढाणी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलार्थी

बनाम

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति नाई सिख निवासी वार्ड नं. 18 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. हरभजनकौर उर्फ संतनी पत्नी सन्तासिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
3. जसप्रीतसिंह पुत्र सन्तासिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
4. दलजीतकौर बेवा सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
5. चन्द्रप्रीत सिंह पुत्र सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
6. सर्वजीतसिंह पुत्र सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।
8. उपपंजीयक सूरतगढ। —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश
उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ दिनांक 21.11.2013
उपस्थितः—

श्री विकम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता।

26/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 26.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो.सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 92ए, 188 व 209 के तहत पेश कर कस्बा सूरतगढ के ख.न. 472/1 की 1.050 है0 ख.न. 472/2 की 2.264 है. कुल 3.314 है. भूमि का गुरदीपसिंह को खातेदार घोषित करने, तत्पश्चात वादी को वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण को विरूद्ध दिनाक 04.07.2013 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.11.2013 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

रेस्पो0 संख्या 1 दिनांक 27.09.2017 को स्वयं उपस्थित आया एवं उसके पश्चात उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया शेष रेस्पो. को रजि. सम्मन से तलब किया गया था उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है जबकि विवादित भूमि अपीलार्थी ने क्रय कर रखी है जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसकी जानकारी वादी को थी। वादी ने अधी.न्यायालय में वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया जिसके कारण वाद चलने योग्य नहीं था। अधी. न्यायालय ने लोक अदालत में प्रकरण रख कर कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही वाद का निर्णय कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं बिना सुने पारित किया गया हैं अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये

26/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 21.11.2013 के विरूद्ध 20.06.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन नहीं होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 21.11.2013 राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित होना जाहिर किया है, के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पो. के पक्ष में दावा डिक्री किया है जो अपीलांट को सुने बगैर व गलत पक्षकार बनाकर नियम विरूद्ध निर्णय किया है को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए 188 व 209 रा.का.अ. विवादित आराजी तहसील सूरतगढ पटवार हल्का सूरतगढ़ के ग्राम कस्वा सूरतगढ के खाता संख्या 166/162, ख.न. 472/1 रकबा 1.050 है0 ख.न. 472/2 रकबा 2.264 है0 किता दो खसरों की 3.314 है0 विवादित भूमि वक्त दायरी दावा लक्ष्मीनारायण पुत्र गुट्टीमल, गोरधन, रामेश्वरलाल, जगदीश चन्द्र पि0 नारायण जाति उपाध्याय सा. बीकानेर के नाम दर्ज थी परन्तु दावे में रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया जो सिविल प्रंक्रिया संहित के आदेश 1 नियम 9 के अनुसार दावे का विधिक defect है जो दावे की खारिजी का आधार बनता है।

26/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली पर सन्दर्भ जमाबंदी पर प्रदर्श Exp 12 डाला गया है. पीठासीन अधिकारी के लिए आदेश 1 नियम 9(2) द्वारा यह आज्ञापक निर्देश है कि न्यायालय द्वारा इस विधि अनुसार रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाना चाहिए जो नहीं बनाया गया है तथा जिन्हें पक्षकार बनाया गया है वह उन्हें भी अधी. न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.07.2013 में बावजूद रजिस्टर्ड तामील,आवाज लगाने पर हाजिर नहीं आने परएक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है का विनिश्चय प्रकियात्मक रूप से औपचारिकता पूर्ण करने के लिए प्रयाप्त हो सकता है परन्तु प्राकृति न्याय के विरूद्ध है जो अधी . न्यापयालय को न्याय अवधारणा Audialteran partern listen to otherside or let the other side be heard करना चाहिए जो नहीं किया यथा अखबार में सूचना प्रकाशित करना इत्यादि , दर्शाता है कि विवादित आराजी के Fate के निर्णय हेतु रेकार्डेड खातेदार Non joinder of necessity की वजह से सामने नहीं आये तथा प्रतिवादीगण एक पक्षीय कार्यवाही की वहज से picture से out है, अब वादी एवं पीठासीन अधिकारी ही विवादित आराजी का Fate decide करने के लिउ स्पष्ट रूप से Nexus प्रमाणित करते है जो न केवल अपील स्वीकारोक्ति का आधार बनता है अपितु वादी स्वयं पीठासीन अधिकारी की Integrity doubtful भी दर्शाती है। जैसा कि अपीलांट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अधी. न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.10.2013 में साक्ष्य वादी उपस्थित होना दर्शाकर शपथ पत्र पेश होना दर्शाया है जबकि दिनांक 12.10.2013 को शनिवार होकर राजस्व न्यायालयों की छुट्टी रहती है। अतः छुट्टी के दिन कोर्ट खोलकर कार्यवाही करना संशय पैदा करता है कि ऐसी क्या आवश्यकता थी कि छुट्टी के दिन न्यायालय खोलना पड़ा।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि तथाकथित 08.08.1966 के बेचाननामे के आधार पर 16 वर्ष बाद नामान्तरणकरण संख्या 147 दिनांक 21.06.82 खोला जाकर उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा स्वीकृत करना जाहिर कर गिरदावरी संवत 2038–41 में अमल दरामद होना बताया है। प्रथमतः नामान्तरण का अमल दरामद गिरदवारी में नहीं होता है अपितु जमाबंदी में होता है। अतः न्यायालय द्वारा रेकार्ड का गलत विवेचन किया है वही निर्णय में आगे सम्वत्

राजस्व अपील प्राधिकारी

2038–41 की जमाबंदी में अंकन होना बताया है वह भी गलत है। इस नामान्तरणकरण का किसी जमाबंदी में अंकन नहीं हुआ है तथा निर्णय का कियान्त्मक भाग है कि कस्बा सूरतगढ जमाबंदी सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 166/162 ख.न. 472/1 की 1.050 व 472/2 की 2.264 कुल 3.314 है0 बारानी भूमि का गुरदीपकौर पत्नी करतारसिंह जाति जटसिख साकिन सूरतगढ को खातेदार घोषित किया जाता है तथा विक्रेतागण लक्ष्मीनारायण पुत्र घुटीमल, गोरधन, रामेश्वरलाल, जगदीश चन्द्र पि0 नारायण जाति उपाध्याय का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है एवं गुरदीपकौर पत्नी करतारसिंह जाति जटसिख साकिन सूरतगढ द्वारा दिनांक 16.12.1992 को करवाई गई वसीयत के आधार पर उक्त वर्णित 3.314 है0 बारानी भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। परचा डिक्री जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय में लक्ष्मीनारायण पुत्र घुटीमल, गोरधन, रामेश्वरलाल, जगदीश चन्द्र पि0 नारायण का नाम जमाबंदी से कलमजन किया उन्हें सुना नहीं गया, गुरदीपकौर को खातेदार घोषित किया गया जबकि उसके द्वारा कोई घोषणात्मक दावा ही पेश नहीं किया तथा दिनांक 16.12.92 की वसीयत के आधार पर जसविन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह को खातेदार घोषित किया है उस दिन गुरदीपकौर के पास जमाबंदी में कोई टाईटल नहीं था जो बेचान के दस्तावेज टाईटल न होकर मात्र साक्ष्य है कि Transaction हुआ है। अपीलांट की Locus-standai है कि गुरदीपकौर का विवादित आराजी में बेचान दस्तावेज अंकन सृजन होने के पश्चात एवं उनके वारिसान की विरासत तथा वारिसान द्वारा अपीलांट को विवादित भूमि के विक्रय के इकरार के आधार पर टाईटल करने का दावा वाद संख्या 40/15 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सूरतगढ के न्यायालय में दायर होकर जैरकार है।

पत्रावली का अवलोकन करने, वकील अपीलांट की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बगैर उसका नाम कलमजन करना सिविल प्रकिया संहिता का उल्लघंन है तथाकथित दस्तावेज यथा बेचान, वसीयत, इकरारनामा सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण का मोहताज है एवं

सबस्क अपील प्राधिकारी

इकरारनामे का दावा सिविल न्यायालय में लम्बित है जिसके निर्णयाधीन अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है, अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.2013 अपास्त किया जाता है। निर्णय दिनांक 21.11.2013 की पालना में भरा गया नामान्तरणकरण संख्या 574 दिनांक 01.07.2014 भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

रविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवकृष्ण सिंह जाति सोनी सिख निवासी वार्ड नं. 18 मकान नं. 125 पी.डब्लू.डी. रेस्ट हाउस के सामने सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल ढाणी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति नाई सिख निवासी वार्ड नं. 18 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. हरभजनकौर उर्फ संतनी पत्नी सन्तासिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
3. जसप्रीतसिंह पुत्र सन्तासिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
4. दलजीतकौर बेवा सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
5. चन्द्रप्रीत सिंह पुत्र सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
6. सर्वजीतसिंह पुत्र सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भोए तहसील बाबा बकाला साहिब जिला अमृतसर (पंजाब)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
8. उपपंजीयक सूरतगढ। —— रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 90/2017 व नाराजगी डिकी अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ निर्णय दिनांक 21.11.2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 26 माह 12 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है, अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.2013 अपास्त किया जाता

राजस्व अपील प्राधिकारी

है। निर्णय दिनांक 21.11.2013 की पालना में भरा गया नामान्तरणकरण संख्या 574 दिनांक 01.07.2014 भी निरस्त किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग...X....) रूपये...X... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26.12.2017 को जारी किया गया।

26/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर